

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासन
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

वन विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
615	ता.प्र.सं.01 (क्र.834) दि.23.07.2015 (श्री चम्पालाल देवड़ा)	(1) रायसेन जिले में वर्ष 2012 के तेंदूपत्ता बोनस की गणना शीघ्र की जाकर बोनस वितरण किया जाना । (2) संग्रहण वर्ष 2013 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना ।	(1) बोनस वितरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) संग्रहण वर्ष 2013 के प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण की कार्यवाही भी प्रचलित है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
616	ता.प्र.सं.11 (क्र.1352) दि.23.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले की नगर पंचायत विजयपुर में बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत बिना कार्य कराये अनियमित भुगतान किये जाने की जांच में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार शीघ्र अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना।	(1) दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों का पक्ष सुनने के पश्चात् नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालनालय एवं निकाय स्तर से शीघ्र की जायेगी। (2) प्रकरण की जांच किये जाने के लिये संचालनालय के अधिकारी के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया है। जांच के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।		
617	ता.प्र.सं.23 (क्र.171) दि.23.07.2015 (श्री यादवेन्द्र सिंह)	सतना जिले के नगर पंचायत नागौद द्वारा किले के नीचे एवं पुल के पास बनाये गये स्टाप डेम में आर्थिक अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रकरण की गंभीरता की दृष्टिगत अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित की जाकर विस्तृत जांच के आदेश किये गये हैं एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		
618	परि.अता.प्र.सं.18 (क्र.398) दि.23.07.2015 (श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार)	मुरैना नगर पालिका में वर्ष 2011 में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	आयुक्त, राजस्व चंबल संभाग, मुरैना को सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण कर जांच करने के लिये एवं जांच प्रतिवेदन अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।		
619	परि.अता.प्र.सं.78 (क्र.1275) दि.23.07.2015 (श्री मुकेश नायक)	परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अभिकरण पन्ना के विरुद्ध दिनांक 31.12.14 एवं 20.04.14 को की गई शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा जांच कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष एवं गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
620	परि.अता.प्र.सं.100 (क्र.1448) दि.23.07.2015 (पं.रमेश दुबे)	छिन्दवाड़ा जिले की नगर पालिका चौरई के लोक निर्माण शाखा का कार्य देख रहे कर्मचारी द्वारा जनप्रतिनिधि से अभद्र व्यवहार किया जाना एवं अपने स्वयं अथवा परिवार के सदस्यों की दुकान से सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, जबलपुर संभाग, जबलपुर को शिकायत की जांच हेतु निर्देशित किया गया है।		
621	परि.अता.प्र.सं.103 (क्र.1479) दि.23.07.2015 (श्रीमती ममता मीना)	गुना जिले की कुंभराज नगर पंचायत के तत्कालीन अध्यक्ष, सी.एम.ओ. एवं कर्मचारी तथा निर्माण एजेंसी के विरुद्ध शिकायत पर की गई जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों के आधार नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष अनुसार गुण-दोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
622	ता.प्र.सं.24 (क्र.1014) दि.23.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम में संशोधन किया जाना एवं मंदिर प्रबंध समिति में सांसद एवं विधायक को सम्मिलित किये जाने के संबंध में बजट सत्र 2015 में प्रश्नकर्ता सदस्य को मा.मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन की पूर्ति की दिशा में शीघ्र कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही विचाराधीन है।		
623	परि.अता.प्र.सं.84 (क्र.1344) दि.23.07.2015 (श्री इन्दर सिंह परमार)	शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील अंतर्गत पुजारियों को वर्ष 2015 का मानदेय प्रदाय नहीं करने वाले संबंधित जिम्मेदार तहसीलदार, नायब नाजीर के विरुद्ध कारण बताओं सूचना पत्र का प्रति उत्तर प्राप्त कर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	तहसीलदार श्री प्रकाश दुबे (डी.डी.ओ.) एवं नायब नाजीर श्री काशीराम माली इसके लिये जवाबदार है। इन दोनों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये गये हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची
 (जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

लोक निर्माण विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
624	परि.अता.प्र.सं.11 (क्र.124) दि.23.07.2015 (श्री हितेन्द्र सिंह ध्यान सिंह सोलंकी)	खरगौन जिले के अंतर्गत बड़वाहा वि.स.क्षेत्र के ग्राम गंगवाडा से अमलाथा के मध्य आड़ी नदी पर प्रस्तावित पुल को आगामी वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में शामिल किया जाना ।	प्रस्ताव परीक्षाधीन है ।		
625	परि.अता.प्र.सं.30 (क्र.577) दि.23.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले की सीप नदी के सोनघटा पर नवीन पुल निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी जाना ।	जी हां । प्राथमिक प्रस्ताव परीक्षाधीन है ।		
626	अता.प्र.सं.41 (क्र.881) दि.23.07.2015 (डॉ.राजेन्द्र पाण्डेय)	रतलाम जिले के जावरा नगर मध्य स्थित रेल्वे फाटक पर फ्लाई ओवर/अंडर ब्रिज का निर्माण किया जाना ।	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।		
627	अता.प्र.सं.76 (क्र.1357) दि.23.07.2015 (श्री रामनिवास रावत)	श्योपुर जिले के कराहल-सरारी-बरगंवा एवं गोरस-आवदा अजापुरा मार्ग का डामरीकरण किये बगैर ठेकेदार को भुगतान किये जाने एवं डब्ल्यू.वी.एम. एवं रिपेयर आफ पोर्ट होल्स कार्य अनुबंध अनुसार नहीं किये जाने की जांच एवं संबंधित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही पूर्ण कर दण्डित किया जाना एवं ठेकेदार की फर्म को ब्लैक लिस्ट कर भुगतान की गई राशि की वसूली किया जाना ।	विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । शेष प्रश्नांश हेतु प्रकरण परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन ।		
628	अता.प्र.सं.77 (क्र.1362) दि.23.07.2015 (डॉ.मोहन यादव)	उज्जैन जिले के ग्राम कानीपुरा-तराना सड़क मार्ग निर्माण में अनियमितता किये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	जांच प्रतिवेदन मुख्य अभियंता को प्राप्त हुआ है । जो परीक्षाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2015 सत्र में दिये गये आश्वासनों की सूची
(जुलाई, 2015 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक 23.07.2015 के आश्वासन)

खेल एवं युवक कल्याण विभाग

दिनांक 23.07.2015

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/ प्रश्न क्रमांक/ दिनांक/सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
629	अता.प्र.सं.24 (क्र.584) दि.23.07.2015 (श्री दुर्गालाल विजय)	श्योपुर जिले के बड़ौदा में मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पालन में स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति दी जाना।	स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		